

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और एस.एस. दीवान, जे. से पहि।

चमन िाि जय कुमार,-याचचकाकर्ा

बनाम

हररयाणा राज्य और अन्य, उत्तरदार्ा।

1975 की लसववि ररट याचचका संख्या 1390।

1 माचा, 1979.

हररयाणा सामान्य बबक्री कर अचधननयम (1973 का 20) धारा 1(3), 27 (1) (ए) (ii) र्ीसरा प्रावधानपंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम (1948 का 46)-धारा 5(2) (ए) (ii)) - भारर् का संववधान 1950 - अनच्छेद 19(1) (एफ) और (जी) उ - धारा 27(1) (ए) (ii) का र्ीसरा परंर्क उ - क्या अनच्छेद 19(1)(एफ) उ और (जी) का उल्िंघन है - बबक्री के कचिर् िेन-देन की प्रामाणणकर्ा ननधाररर् करने के लिए मल्यांकन ू प्राचधकारी की शक्क् - क्या उचचर् है - कहा गया परंर्क क्या एक मु ि खंड अपने आप में कारावाई का ू ननयम ननधाररर् करर्ा है - परंर्क को पु वाव्यापी रूप से ददया गया है र्ाकक पू वावर्ी अचधननयम के अनू सार उ काया ककया जा सके- कहा गया

अचधननयम िगभग हररयाणा अचधननयम के प्रावधानों के समान-ऐसी

पूवाव्यापी-

क्या अनमनर्

है.ु

माना गया कक हररयाणा सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1973 की धारा 27 (1) (ए) (ii) के र्ीसरे प्रावधान में ननधाररर् व्यापक ददशाननदेश को अनचचर् या अर्ाककाक नहीं माना जा सकर्ा है। संक्षपे में, यह मल्यांकन ू प्राचधकारी को ककसी ननधाररर्ी द्वारा ररटना या घोषणा में ननदहर् िेनदेन की वास्ववकर्ा या अन्या की जांच करने की शक्क् प्रदान करने से अचधक कुछ नहीं करर्ा है। इसलिए, उक्क प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, संभवर्: कोई अपवाद नहीं लिया जा सकर्ा है। यह स्वयंलसद्ध प्रर्ीर् होर्ा है कक कर ररटना में, कजस प्राचधकारी को इसे प्रसूर् ककया जार्ा है, उसे अननवाया रूप से यह ननधाररर् करने का अचधकार उ होना चादहए कक क्या यह थर््यात्मक रूप से सत्य है या अन्या।

1973 में रीसरे प्रावधान के िाग होने ू से पहि भी, यह स्िवपर कानन िा कक मू ्ल्यांकन प्राचधकारी को घोषणा के पीछे जाने और उसमें ननदहर् िेनदेन की वास्ववकर्ा की जांच करने की शक्क् िी। रीसरे प्रावधान में ककसी प्राचधकरण में ककसी भी अननयंबिर् और अननदेलशर् शक्क्यो को ननदहर् करना र्ो दर, एक रंह से बबक्री के कचिर् िेनदेन की ू वास्ववकर्ा या अन्या ननधाररर् करने के लिए ददशाननदेशों को व्यापक रूप से इंचगर् करके इसे सीलमर् कर ददया गया िा। सामान्य शब्दों के उपयोग के कारण ये ककसी भी रंह से संपणा नहीं हैं और, ववशेष ू रूप से, अन्य बारों के अिावा, यह स्पष्ट रूप से इस बार का संकेर् होगा कक ववधानयका ने शक्क् को परी रंह से सीलमर् नहीं ककया है। ू ये ऐसे कारक हैं जो बबक्री के िेनदेन की प्रामाणणकर्ा पर संदेह उठाए जाने पर स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से ददमाग में आएंगे। इसलिए, रीसरे प्रावधान की सामग्री परी रंह से उचचर् है और केवि कानू न की ू घोषणा है क्योकि यह पहि से अक्स्त्व में िी और वास्व में उन्होंने बबक्री िेनदेन की वास्ववकर्ा की जांच करने के लिए पहि की असीलमर् शक्क् को कानन द्वाारा ननधाररर् अन्य ददशाननदेशों के बीच नहररर् ू ददशाननदेशों में सीलमर् कर ददया है। . (पैरा 5, ओ एना ओ)

यह माना गया कक भि ही एक प्रावधान को एक प्रावधान के रूप में पेश ककया जा सकर्ा है, यह वास्व में एक मि खंड हो सकर्ा है और ऐसे मामि भी हो सकर्े हैं कजनमें कानू न की भाषा इर्नी स्पष्ट हो ू सकर्ी है कक एक प्रावधान को वास्व में एक प्रावधान के रूप में समझा जा सकर्ा है मि उपवाक्य. ू अचधननयम की धारा 27(1)(ए) (ii) के रीसरे परंके की सामग्री की जांच करने पर यह स्पष्ट प्रर्ीर् होर्ा ु है कक मि रूप से यह मू ल्यांकन प्राचधकारी को बबक्री िेनदेन की वास्ववकर्ा या अन्या की जांच करने ू की पयाप् शक्क् प्रदान करर्ा है। ननधाररर्ी द्वाारा ककया गया ररटना या घोषणा। यह के संबंध में कानन ू या कारावाई का ननयम ननधाररर् करर्ा है। इंनर्ान। और उपरोक् ररटना के आधार पर कर देनदारी का ननधारण। यह ववस्र् है और ववस्र् होने का ददखावा ककए बबना उन ददशाननदेशों का सृ झाव देर्ा है ु कजनके आधार पर िेनदेन के संबंध में वास्ववकर्ा या अन्या के बारे में ननष्कषा पर पहुंचा जाना है। इसलिए, रीसरा परंरुक, अपने वास्ववक सार में एक मि खंड है, हािांकक इसे एक परंरू क के रूप में ु शालमि ककया गया है।

(पैरा 15 और 16)

माना गया कक हररयाणा सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1973 की धारा 27 का संबंचधर् प्रावधान, पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1948 की धारा 5(2) है। हािांकक पहि नजर में धारा 5 (2) (ए) के प्रावधान (ii) पंजाब अचधननयम हररयाणा अचधननयम की धारा 27 (1) (ए) (ii) की र्िना में कु ुछ अिग प्रर्ीर् हो सकर्ा है, कफर भी िोडी गहराई से जांच से पर्ा चिगा कक संक्षेप में वे वस्र्:

समरूपर्ा में हैं ु . एक बार ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कक यदद र्ीसरा प्रावधान धारा 27(1) (ए)
(ii) के क्षेि में काम कर सकर्ा है, र्ो यह समान सववधा के साि पु वावर्ी ू के प्रो-1 दृक्षकोण के
संबंध में समान ऑपरेटव बि रख सकर्ा है। पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम की धारा 5(2) (ए)
(ii) में ननदहर् कानन। (पैरा 17 औरू

18) भारर् के संववधान के अनच्छेद 226 और 227 के हर् याचचका

प्राििानाु

यह माननीय न्यायािय याचचकाकर्ाा फमा को अनदान देने में प्रसन्न हो
सकर्ा है

ननम्नलिणखर् राहर्े:-

(ए) उत्तरदार्ाओं को संचारर् करने का ननदेश देने वािी सदटाओरीरी ररट जारी करना इस मामि से
संबंधर् संपूणा ररकाँडा माननीय न्यायािय ने वववादर् आदेश की वैधाननकर्ा, वैधर्ा और औचचत्य
की जांच करने और उसके अविकन के बाद वववादर् आदेश को रद्द करने में सक्षम बनान ेकी दृक्ष
से, अनबंध 'पी. 1;ु

(बी) ररट याचचका के अंनर्म ननणाय कं प्रनर्वादी संख्या 2 द्वारा आगे की कायावाही पर रोक िगाने के
लिए एक पक्षीय ववजापन-अंर्ररम स्िगन आदेश जारी करना;

(सी) उत्तरदार्ाओं पर इस ररट याचचका के प्रस्राव के नोटटस की सेवा से छूट देने के लिए कर््योकक एक
पक्षीय स्िगन आदेश के लिए प्राििाना की गई है:

(डी) याचचकाकर्ाा फमा को इस याचचका की िागर् देने के लिए;

(ई) इस मामि के थ्यो और पररक्स्िनर्यो पर माननीय न्यायायि द्वारा उचचर् और समीचीन समझी जाने वािी ऐसी अन्य राहर् भी दी जा सकर्ी है, कजसके लिए याचचकाकर्ा-फमा को हकदार पाया जार्ा है।

R. P. Sawhney, Bhagirath Dass, R. N. Narula and

D. V. Sehgal, Advocates, for the Petitioner. एस. सी.

मोहं्रा, ए. जी., हररयाणा, प्रनर्वाददर्यो के लिए अचधवर्ा बी.

एि. गिाटी के सािु

S. S. Sandhwalia, C.J. प्रिय

1.) Theसंवैधाननकवैधर्ा tof! Tthedthird3Vproviso Sto:ti धारा 27(1)(a)(ii) हररयाणा सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1973 की धारा 19: (1)(f) और (g) का उल्िंधन होने के आधार पर ओिचना की गई है। पर्ैंीस जडी ररट याचचकाओ के इस सेट में भारर् का संववधान। इसके ओिावा, उर् अचधननयम की धारा 1(3) द्वारा 1 मई, 1949 से इसी प्रावधान को दी गई पवाव्यापीर्ा को ू भी समान रूप से कडी चनोर्ी दी गई है।ु

2. जैसा कक iAsnisen ने इस मददे को प्रकट ककया है>ु tpstinelya काननी है, इसमें थर् शालमि हैंू शायद ही इसका उल्िेख ककया गया हो और 1975 के सी.डब्ल्य. 1390 के आदेश में याचचकाकर्ा-जय कुमार बनाम हररयाणा राज्य के किनों में (एम की महत्वहीनर्ा। वास्व में ववद्वान वकीि चमन िाई अन्य की मखार्ा) का एक संक्षक्षप् संदभा देना पयाप् होगा।ू अटि थर्ात्मक पष्ठभृ लम प्रदान करने के ू लिए वहीं के कारोबार में अंबािा विजे के जगाधरी में बर्ानों और खाद्यान्नों का व्यापार िगा हुआ है। हररयाणा राज्य पर िाग पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1948 और केंद्रीय बबक्री कर अचधननयम, ू 1956 के हर् एक डीरि के रूप में ववचधवर् पंजीकर् ककया गया िा।

आवश्यक बबक्री कर ररटना दाणखि करर्े समय याचचकाकर्ा-फमा ने पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1948 की धारा 5(2)(ए) (ii) के हर् उनके लिए उपिब्ध वैधाननक कटोर्ी का दावा ककया, कजसे बाद में राज्य में ववस्ाररर् और िाग ककया गया िा। हररयाणा के. ^ इनमें रुपये की बबक्री

शालमि िी। ू 1,40,000 और मेससा भगवर्ी मेटि वक्सा, जगाधरी पर अचधननयम के हर् एक पंजीकृ डीरि होने का आरोप िगाया गया है। हािाँकक, ननधारण प्राचधकारी ने 22 अक्टूबर, 1971 के एक आदेश द्वारा, उपरोक् बबक्री को स्पष्ट रूप से वास्ववक नहीं होने के कारण खाररज कर ददया और इससे व्यचिर् होकर याचचकाकर्ाफमा ने उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयकृ, अंबािा के पास अपीि दायर की। बाद वािे ने 25 लसर्बर, ु 1973 के अपने आदेश द्वारा याचचकाकर्ाफमा को रुपये की रालश को छोडकर दावे की अस्वीकृनर् को बरकरार रखा। 1,40,297/51पी. मेससा भगवर्ी मेटि वक्सा के संबंध में, िेककन हररयाणा सामान्य बबक्री कर अचधननयम, 1973 के अचधननयमन के पररणामस्वरूप कानन के संशोचधर् प्रावधानों के मद्देनजर इस ू दावे की जांच करने के लिए मामि को मल्यांकन प्राचधकारी को भेज ददया गया। उक् आदेश के अनू सार, ु कर ननधारण प्राचधकारी ने र्ब याचचकाकर्ाफमा को एक नोदटस जारी ककया, कजसमें उन्हें कारण बर्ाने के लिए कहा गया कक मेससा भगवर्ी मेटि वक्सा को बबक्री के संबंध में कटौर्ी की अनमनर् क्यों नहीं दी ु जाए और नोदटस में यह बर्ाया गया कक हाि ही में अनुभाग में डािा गया र्ीसरा प्रावधान अचधननयम की धारा 27(1)(ए)(ii) इस थर्य को ध्यान में रखर्े हुए मामि में आकवषार् होगी कक 1 मई 1949 से कानन ू द्वारा इसे पवाव्यापी प्रभाव प्रदान ककया गया िा। उक् के उतर में ध्यान दें कक याचचकाकर्ाफमा ने ववलभन्न दीिें उठाई, कजनमें यह दीि भी शालमि िी कक र्ीसरा प्रावधान मामि में शालमि नहीं िा और इसके िावा इसमें रखी गई शर्ों का अनपाििन असंभव िा। हािाँकक, ननधारण प्राचधकारी, ववसु र् आदेश अनिग्नक पी. ु ।ने माना कक उनकी जांच से पर्ा चिर्ा है कक मेससा भगवर्ी मेटि वक्सा, जगाधरी को की गई बबक्री वास्ववक नहीं िी और इसके लिए दावा की गई कटौर्ी को अस्वीकार करर्े हुए उन्होंने याचचकाकर्ाफमा का कफर से मल्यांकन ककया। उन बबक्री पर छह प्रनर्शर् की दर से और गणना की गई ू रालश पर कर की वसूिी का ननदेश ददया गया। उपरोक् आदेशों से व्यचिर् होकर, याचचकाकर्ाफमा ने मख्य रूप से शु रुआर् में देखे ु गए संवैधाननक आधारों पर वर्ामान ररट याचचका दायर की।

3. जादहर सी बार् है कक सबसे पहि अचधननयम की धारा 27 के प्रासंचगक प्रावधान पढना जरूरी हो जार्ा है:-

“27(1) इस अचधननयम में, अलभव्यक्क ‘कर योग्य टनाओवर’ का िा वह भाग है ककसी भी अवचध के दौरान जो उस दौरान उसके टनाओवर में से कटौर्ी करने के बाद बचर्ा है, डीरि के सकि कारोबार का अवचध।

(ए) के कारण

- (i) अनसु ची ू बी में ननददाष्ट वसूओं की बबक्री।
- (ii) अनसु ची सी में ननददाष्ट वसूओं की बबक्री के अिावा पंजीकु ूर डीरिों को बबक्री और धारा 17 और 18 के हर् बबक्री के पहि चरण में कर के लिए उतरदायी वसूओं की बबक्री।

प्रदान ककया

प्रदान ककया

बशरू कक इस खंड के हर् कटौरी की अनमनर देने के प्रयोजनों के लिए, मु ल्यांकन प्राचधकारी ू या धारा 3 की उप-धारा (1) के हर् आयक्र की सहायर्ा के लिए ननयु क्र कोई अन्य व्यक्कू संदभा के साि ऐसी ककसी भी बबक्री या घोषणा की वास्ववकर्ा या अन्या की जांच कर सकर्ा है, 'अन्य बारों के अिावा, ववतीय कस्िनर, खरीदारी करने की क्षमर्ा, व्यवसाय की प्रकृनर और सीमा, और पंजीकृ डीरि द्वारा माि का बाद में ननपटान, कजसे बबक्री घोषणा के ववरुद्ध की गई ददखाई गई है;"

कफर यह बर्ाना पयाप् है कक उपरोक्कू अचधननयम की धारा 1(3) के अनसार ऊपर उद्धु र ूरूसरा प्रावधान 1 मई 1949 को िाग हू ुआ माना जार्ा है।

4. मैं सबसे पहि वववाददर प्रावधान के णखिफ दी गई संवैधाननक चनौरूी को टाि दु ंगा। श्री ू आर. पी. साहनी ने जोरदार ढंग से यह र्का ददया िा कक यह प्रावधान याचचकाकर्ा के संपवत रखने और अपना व्यवसाय चिाने के मौलिक अचधकार पर इर्ना अनचचर् प्रनर्बंध िगार्ा है, ु कक यह संववधान के अनच्छेद 19 के हर् गारंटीु -स्वर्िा का स्पष्ट उल्िंघन है। . वकीि यह र्का देने में ननपण िे कक पंजीकु ूर डीरि पर िगाए गए दानयत्व की प्रकृनर इर्नी कदठन िी कक इसका अनपाििन करना िगभग असंभव िा और इसलिए, स्पष्ट रूप से र्काहीन िा। ु यह प्रसूर ककया गया कक ररु टना और घोषणा, द्वारा की गई करयोग्य टना-ओवर से कटौरी के प्रयोजन के लिए पंजीकृ डीरिों को की गई बबक्री के संबंध में ववक्रर्ा डीरि ननणायक िा और ककसी भी पररकस्िनर में उसकी वास्ववकर्ा के संबंध में उस पर कोई बोझ नहीं डािा जा सकर्ा िा। यह प्रसूर ककया गया िा कक बेचने वािे डीरि का संभवरू बेचे

गए सामान पर या क्रैर्ा की ववतीय और व्यावसानयक क्षमर्ा स्िावपर करने के साधन पर कोई ननयंिण नहीं हो सकर्ा है। आयकर आयक् बनाम वािचंद एंड कंपनी (पु ट) लिलमटेड (1) पर भरोसा करर्े ु हुए कहा गया कक ककसी प्रावधान की कांसंगर्ा या अन्या को मख्य रूप से केवि व्यापारी ु के दृक्षकोण से देखा जाना चादहए।

5. हािांकक व्यवसाय और व्यापार करने के मौलिक अचधकार पर प्रनर्बंध की कांसंगर्ा या अन्या के दृक्षकोण के संबध में काननी प्रस्राव के साि कोई झगडा नहीं है, में यह देखन ेू में असमि हूं कक इसमें व्यापक ददशाननदेश कैसे ददए गए हैं र्ीसरे परंर्क को अनु चचर् या ु अर्ाककाक के रूप में वणणार् ककया जा सकर्ा है। संक्षेप में, यह मल्यांकन प्राचधकारी को एक ू ननधारर्ी द्वारा उसकी घोषणा के ररटना में ननदहर् िेनदेन की वास्ववकर्ा या अन्या की जांच करने की शक्क् प्रदान करने से अचधक कुछ नहीं करर्ा है। इसलिए, उक् प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, संभवर्: कोई अपवाद नहीं लिया जा सकर्ा है। यह स्वयंलसद्ध प्रर्ीर् होर्ा है कक कर ररटना में, प्राचधकारी, कजसे इसे प्रस्र ककया गया है, को अननवाया रूप से यह ु ननधारर् करने का अचधकार होना चादहए कक क्या यह थर््यात्मक रूप से सत्य है या अन्या। दसरी ओर, वास्व में, याचचकाकर्ाओं की ओर से जो दावा करने की ू मांग की गई है, वह यह प्रर्ीर् होर्ा है कक मल्यांकन प्राचधकारी को िेनदेन या घोषणाओ ं ू की प्रामाणणकर्ा के बारे में कोई जांच करने का कोई अचधकार नहीं होना चादहए, भि ही पररक्स्िनर्ी ककर्नी भी संददग्ध कर्ी न हों। ऐसा प्रर्ीर् हो सकर्ा है। इसके वास्ववक व्यावहारक प्रभाव में, याचचकाकर्ाओं के लिए ववद्वान वकीि उसमें शालमि िेनदेन के मल्यांकन प्राचधकारी द्वारा घोषणा की पू ूणा और पणा सू रक्षा की मांग करर्े हैं, चाहे वे ककर्ने भी स्पष्ट रूप से फजी कर्ी न हों। यह कहा ु गया िा कक एक बार वैधाननक घोषणा दाणखि हो जाने के बाद, बेचने वािे डीिर् का कर्ाव्य समाप् हो जार्ा है और मल्यांकन प्राचधकारी को उसके पीछे जाने का कोई अचधकार नहीं होना ू चादहए। प्रिम दृष्टया, इस र्ह का का सैद्धानर्क रूप से मेरे लिए उपयक् नहीं है कर्ीकक ु यह उन डीिर्ों के मामि में धोखाधडी पर प्रीलमयम िगाएगा जो कर-चोरी के अनैनर्क अभ्यास में शालमि होने का मन बना सकर्े हैं। नर्ीजर्न, यहां र्क कक ए र्ीसरे परक्कु के प्रावधानों का स्पष्ट पाठ दरू -दरू र्क नहीं ददखर्ा, उसमें कुछ भी अनचर्ु या र्कीहीन।

(1) 65 आई.टी.आर. 381.

6. लसदधार् के अिावा, कर्ा में काफी सामग्री और योग्यर्ा है। श्री मोहंर्ा का कहना है कक 1973 में र्ीसरे परंर्क के अचधननयमन से भी पहि,ु यह स्िावपर् काननू िा कक मल्यांकनू प्राचधकारी के पास घोषणा के पीछे जाने की शक्क् िी और उसमें ननदहर् िेनदेन की वास्ववकर्ा की जांच करें। यह स्टैंड ऐसा प्रर्ीर् होर्ा है कक 1973 से पहि के सभी ननणायों से इसका पयाप् प्रमाण लमिर्ा है। अब यह वववाददर् नहीं है कक हररयाणा की धारा 27 के संबंघधर् प्रावधान पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम 1973 का अचधननयम और पवावर्ीू काननू में।

1948 धारा 5(2) के हैं। यह आगे स्वीकार की गई कस्िन्र् है कक 1973 से पहि, पंजाब जनरि सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 5 (2) को हररयाणा के राज्य क ववस्ारर् ककया गया िा और इससे पहि भी यह पंजाब के पवावर्ी राज्य पर िागू िा कजसमें पंजाब के क्षेि शालमि िे। ू हररयाणा। उक् प्रावधानों की व्याख्या करर्े हुए राम पाि मदन गोपाि बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) में इस न्यायाििय की एक डडवीजन बेंच ने बबना ककसी अननक्श्चर् शब्दों के यह माना है कक धारा 5(2)(ए)(ii) के हर् एक घोषणा के दौरान ननयम 26 के साि पढा जाने वािा पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम प्रिम दृष्टया सबर् िा कक बबक्री पंजीकू ूर डीिर्ों को की गई है, िेककन बबक्री कर अचधकारी कटौर्ी की अनमनर् देने से इनकार कर सकर्े हैं, ु क्यौकक सबर् है कक बबक्री वास्ववक नहीं है। यह दृक्षटकोण िगार्ार कायम रहा और इसे ू पहाड चंद 8आई संस बनाम पंजाब राज्य (3) और कफर देवदंर कुमार केवि कू, माचा बनाम राज्य (4) में दोहराया गया, कजसमें इसे स्पष्ट रूप से ननम्नानसार देखा गया िा;ु

**** यह ननक्श्चर् रूप से मूल्यांकन प्राचधकारी के लिए खुिा है कक वह उचचर् साक्ष्य के आधार पर इस ननष्कषा पर पहुंचे कक िेनदेन वास्ववक नहीं िे, िेककन बाद में खरीदार के ककसी भी पंजीकरण प्रमाणपि को रद्द करने की पररक्स्िनर्यो से ऐसे ककसी ननष्कषा पर नहीं पहुंचा जा सकर्ा है। उस िेन-देन के संबंघ में कजसके संबंघ में कटौर्ी का दावा ककया गया है।“

इस प्रकार यह स्पष्ट है कक कानन के पू वोक् प्रनर्पादन से कभी भी ववचिन नहीं हू ुआ है और यहां क कक जब याचचकाकर्ाओं के वकीि श्री आर.पी. साहनी पर दबाव डािा गया र्ो वे ककसी भी प्राचधकारी का हवािा नहीं दे सके कजसने ववपरीर् दृक्षटकोण अपनाया हो। इसलिए याचचकाकर्ाओं की ओर से यह बेर्का दावा कक बेचने वािे डीिर् द्वारा

दायर ररटना और ँ घोषणा को पववि और ननणाायक माना जाना चादहए, न र्ो दटकर्ा है और न ही

(2) (1968) 22 एस.टी.सी. 79.

(3) (1972) 30 एस.टी.सी. 211. (4) (1972) 30 एस.टी.सी. 352.

न र्ो लसद्धार् पर और न ही अचधकार पर। ऊपर उद्धर् ननणायों से यह स्पष्ट है कक पंजाब ृ जनरि सेल्स टैक्स अचधननयम की धारा 5(2) के हर्, जो कक धारा 27 के बराबर नहीं है, र्ो यह ननक्श्चर् रूप से माना गया है कक शक्क् ननस्संदेह मल्यांकन प्राचधकारी में ननदहर् है। ू उक् कचिर् िेनदेन की प्रामाणणकर्ा का ननधारण करने के लिए। 4

7. एक बार ऐसा होने पर, लमसािों की बहुर्ायर् से यह स्पष्ट है कक आकिन ककया जा रहा है प्राचधकार को सदैव वास्ववकर्ा में जाने की शक्क् प्रदान की गई है ररटना और घोषणा में शालमि िेनदेन के अन्या। वहाँ है कभी भी असहमनर् का संकेर् नहीं लमि कक ऐसी शक्क् या र्ो कर्हीन िी या इर्नी ददशाहीन िी अनच्छेदु 19 से प्रभाववर् होना। इसलिए, अर्ननादहर् रूप से, पहि के अचधकारर्यों के लिए एक वारंट है यह प्रस्ाव कक ककसी िेन-देन की प्रामाणणकर्ा ननधाररर् करने के लिए उसके पीछे जाने की शक्क् है मल्यांकनू प्राचधकारी में ननदहर् अचधकार उचचर् भी है और काननू द्वारा स्वीकृ भी।

8. इन आधारों पर यह स्पष्ट है कक श्री मोहर्ा की अधीनर्ा के पररणाम को भी स्वीकार ककया जाना चादहए। वह स्पष्ट रूप से यह कर्ा दे रहे िे कक धारा 27 का र्ीसरा प्रावधान कानन की घोषणा से अचधक ू कुछ नहीं है क्योकक यह 1973 अचधननयम के िाग होने से पहि िा। वास्व में इसू ने केवि वही स्पष्ट ककया िा जो पहि प्रावधान में ननदहर् िा और लमसाि के र्ोर पर घोवषर् ककया गया िा। वास्व में वकीि यह कर्ा देने में प्रशंसनीय आधार पर िा कक र्ीसरे प्रावधान ने प्राचधकरण में ककसी भी अननयंबिर् और अननयंबिर् शक्क्यों को ननदहर् करन ेसे दर एक र्ह सू बबक्री के कचिर् िेनदेन की वास्ववकर्ा या अन्या ननधाररर् करने के लिए ददशाननदेशों को व्यापक रूप से इंचगर् करके इसे सीलमर् कर ददया िा। सामान्य शब्दों के उपयोग के कारण ये ककसी भी र्ह से संपणा नहीं हैं, और

ववशेष रूप से, ू 'अन्य बारों के जिावा' शब्द स्पष्ट रूप से इस थर्य का संकेर होगा कक ववधानयका ने इन ददशाननदेशों के साि मल्यांकन प्राचधकारी की शक्कू को पू री रंह से सीलमर नहीं ककया है। िेनू -देन की प्रामाणणकरा ननधाररर करने के संबंध में। उसमें ददए गए चार ददशाननदेश हैं

(ए) क्रेरा की ववतीय कस्िनर;

(बी) खरीदारी करने की उसकी क्षमरा;

(सी) व्यवसाय की प्रकृनर और सीमा; और

(डी) खरीददार पंजीकृर डीरि द्वारा माि का बाद में ननपटान।

अब मझे यह प्ररीर होरा है कक बबक्री िेनदेन की वास्ववकरा या अन्या का ननधारण करने के उद्देश्य ु से उपरोक्क मानदंडों को संभवर: असंगर या अप्रासंचगक के रूप में िेबि नहीं ककया जा सकरा है। काया में ये वे कारक हैं जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से ककसी के ददमाग में र्ब आरे हैं जब बबक्री के िेनदेन की प्रामाणणकरा पर संदेह उठया जारा है। इसलिए, मेरे ववचार में, ववद्वान महाचधवकरा श्री मोहंरा का यह कर्ा परी रंह से सही प्ररीर होरा है कक रीसरे परंरू क की सामग्री पु री रंह से उचचर है और ू केवि कानन की घोषणा है क्यौकक यह पू हि से मौजद िा और वास्व में उन्होंने पहि वािे को सीलमर ू कर ददया है। कानन द्वारा ननधाररर अन्य ददशाननदेशों के सािू - साि बबक्री िेनदेन की वास्ववकरा की जांच करने की असीलमर शक्कू।

9. मामि के इस पहि को बंद करने से पहि यह ववशेष रूप से उल्िेख ककया जाना चादहए कक श्री भागीरि ू दास ने श्री आर. या अचधननयम की धारा 27 के आक्षेवपर रीसरे प्रावधान का संभावर संचािन। ववद्वान वकीि ने ननष्पक्ष रूप से यह रुख अपनाया कक ककसी िेन-देन की वास्ववकरा रीसरे प्रावधान के िाग ू होने से पहि भी मल्यांकन प्राचधकारी द्वारा जांच के लिए खू िी िी और इर्ने िाभकारी प्रावधान के रास्े ु में कोई रोक नहीं िगाई जा सकरी िी।

10.1, इसलिए, इस पहि पर ननष्कषा ननकािर्े हैं कक अनू चर्चा का दोष दु रू -दर क धारा 27(1)(ए)(ू ii) के र्ीसरे प्रावधान से जडा नहीं है और यह संवैधाननक रूप से मान्य है।

11. अब इस मामि के दसरे पहि की ओर बढ़े हू ए श्री भागीरि दास द्वारा र्ीसरे परंक की पु व्वाव्यापीर्ा की चनौर्ी को प्रभावशािी ढंग से प्रसु र ककया गया है। इसमें मु ि रूप से वववाददर प्रावधान अचधननयम ू की धारा 1(3) है कजसके र् र्ीसरा प्रावधान 1 मई, 1949 से िाग ककू या गया है, जो स्पष्ट रूप से पंजाब जनरि सेल्स टैक्स अचधननयम 1948 की मि घोषणा की र्ारीख है।

12. अब यहां श्री भागीरि दास के र्ा का मूि यह है कक र्ीसरा परंक कु ि लमिाकर धारा 27(1) (ए) (ii) का एक अहाक खंड है। ऐसा होने पर, यह र्ा ददया गया कक जबकक धारा 27 स्वयं नहीं दी गई है इसलिए, अचधननयम द्वारा पूवाव्यापी प्रभाव को समाप् नहीं ककया जा सकर्ा है पूवाव्यापीर्ा के साि काफी सरम्य भाषा में यह र्ा ददया गया ककु र्ीसरा प्रावधान 1 मई, 1973 से पहि शन्य में काम नहीं कर ू सका, क्यौकक माना जार्ा है कक धारा 27 के प्रावधानों में इससे पहि कोई बि नहीं है। इसे दसरे शब्दों ू में कहें र्ो, प्रसूीकरण यह िा कक ननमाणु के सामान्य लसद्धार् के रूप में अनभाग का एक परंरु क उ अननवाया रूप से मख्य खंड का एक अंग या दहस्सा होर्ा है और मु ख्य खंड की अनु पकस्िनर् में यह स्वयं ंु खडा नहीं हो सकर्ा है और इसलिए, नहीं कर सकर्ा है। संभवर्: प्रािलमक खंड के अचधननयलमर् होने से पहि की अवचध में सक्रय हो।

13. प्रिम दृष्टया यह र्ा प्रशंसनीय प्रर्ीर् होर्ा है, िेककन इसके गहन और गहन ववश्िेषण से पर्ा चिर्ा है कक संक्षेप में और ववशेष संदभा में यह एक ठोस काननी के बजाय सिाह की सरिर्ा पर अचधक ू ननभार करर्ा है। या थर््यात्मक आधार. यह वववाद दोहरे दृक्ष्टकोण से जांच के योग्य है और पहि र्ीसरे परंक की प्रकु ृनर् और सामग्री के संबंध में है।

14. अपनी असीम ननष्पक्षर्ा के साि, श्री भागीरि दास ने स्वयं स्वीकार ककया िा कक यदद कोई परंक उ प्रभाव में है या कुि लमिाकर एक मि खंड है र्ो उसके अपने आप में खडे होने और स्वरि वैधाननक बि ू होने में कोई काननी बाधा नहीं है। एक बार ऐसा होने पर, यह मान लिया गया ू कक ककसी भी अन्य वैधाननक प्रावधान की र्ह इसे पवाव्यापीर्ा दी जा सकर्ी है यदद ववधानयका के पास ऐसा करन े ू की क्षमर्ा है। इसलिए, इस संदभा में पहि और प्रािलमक प्रश्न जो ननधारण

के लिए उठ्रा है, वह यह है कक क्या रीसरा परंक अपने वास्ववक सार में एक मु ि खंड है जो स्वयं कारावाई का ननयम ननधाररर् कर्रा है या यह केवि मख्य खंड का एक पररलशष्ट है।

15. चंकक यह मू द्दा अनर्म न्यायािय की एक लमसाि के अंगार् आर्ा है, इसलिए लसद्धार पर इसकी ँ जांच करना अनावश्यक है। आयकर आयर्, मद्रास बनाम द अजाक्स प्रोडक्स लिलमटेड (5) के मामि ँ में, यह माना गया िा कक भि ही एक प्रावधान को एक प्रावधान के रूप में शालमि ककया जा सकर्ा है, िेककन वास्व में यह वास्व में एक मि धारा हो सकर्ी है और हो सकर्ा है ऐसे मामि कजनमें कानू नू की भाषा इर्नी स्पष्ट हो सकर्ी है कक एक परंक को वास्व में एक मु ि खंड के रूप में समझा जाू सकर्ा है।

16. उपरोक् को ध्यान में रखर्े हुए मददा यहीं क सीलमर् हो जार्ा है कक क्या रीसरा परंर्ु क केवि ँ एक अहाक खंड है या वास्व में कानन का एक मू ि प्रावधान है। अब इसकी सामग्री की जांच करने परू यह स्पष्ट प्ररीर् होर्ा है कक संक्षेप में यह मल्यांकन प्राचधकारी को इसकी जांच करने की वास्ववक शक्र्ू प्रदान करर्ा है।

(5)ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1358.

ननधाररर्ी द्वारा की गई घोषणा के ररटना में बबर्ी िेनदेन की वास्ववकर्ा या अन्या। यह उपरोक् ररटना के आधार पर कर देनदारी की जांच और ननधारण के संबंध में कानन या कारावाई का ननयम ननधाररर्ू करर्ा है। यह ववस्र् है और ववस्र् होने का ददखावा ककए बबना उन ददशाृ ननदेशों का सझाव देर्ा है ँ कजनके आधार पर िेन-देन की वास्ववकर्ा या अन्या के बारे में ननष्कषा पर पहुंचा जाना है। इसलिए, रीसरा परंर्ुक, अपने वास्ववक सार में एक मि खंड है, हािांकक इसे एक परंर्ू क के रूप में शालमि ककया ँ गया है। यह शायद ड्राफ्ट्समैन की कल्पना माि िी, कजसने इसे एक परंक के रूप में नालमर् करने का ँ ननणाय लिया, हािांकक ननस्संदेह ऐसा प्रावधान अपने आप में कायम रह सकर्ा है और शायद होना भी चादहए। जैसा कक वकीि ने पहि ठीक ही बर्ाया िा कक ककसी िेन-देन की वास्ववकर्ा की जांच करने की समान शक्र्ू न्यायाधीश द्वारा लमसाि के र्ोर पर बनाए गए कानन के आधार पर मू ल्यांकन प्राचधकारीू में ननदहर् िी, 1973 में अचधननयलमर् होने पर प्रावधान ने ठोस कदम उठाने से कहीं अचधक काम ककया है। और पवा उदाहरण द्वारा ननधाररर् लसद्धार को स्पष्ट आकार दें। इसलिए, यहां यह कर्संगर् रूप सेू नहीं कहा जा सकर्ा है कक रीसरा परंक वपछि खंड का केवि एक अंग या जोड या घटाव है या इसकी ँ प्रकृन् ही ऐसी है

कक यह स्वरंि रूप से खडा नहीं हो सकर्ा है। वास्व में इसके ववपरीर् यह प्रर्ीर् होर्ा है कक संक्षेप में यह एक सकारात्मक उपवाक्य है। उत्तरदार्ाओं के ववद्वान वकीि ने ठीक ही बर्ाया है कक यदद इसे भाषा या धारा 27 ।(1)(ए)(आईजे) के मामूिी संशोधन के साि िेबि ककया जार्ा है, र्ो न र्ो इसकी सामग्री और न ही इसका प्रभाव प्रभाववर् होगा। इसलिए, यह या र्ो धारा 27 के खंड (1) के एक स्वरंि उप-खंड के रूप में खडा हो सकर्ा है या उस मामि के लिए समान सववधा के साि एक पु णा खंड ू में शालमि ककया जा सकर्ा है। इसलिए, मैं यह मानंगा कक प्रभाव में र्ीसरा परंर्ू क एक मु ि खंड है, ू हािांकक सवोच्च न्यायािय के उनके आचधपत्य के शब्दों में यह एक परंर्क के रूप में शालमि है और ु कानन के र्र् एक मू ि प्रावधान के रूप में स्वरंि ऑपरेटव प्रभाव हो सकर्ा है। नर्ीजन, इसकी पवाव्यापीर्ा के णखिाफ हमि के मू ि को ननणाायक रूप से खाररज कर ददया गया है।

17. ववकल्प में, यह नहीं देखा गया है कक क्या टी प्रावधान अपनी पवाव्यापीर्ा में पंजाब जनरि सेल्स ू टैक्स एक्ट के संबंघर् प्रावधानों पर अननवाया रूप से काम कर सकर्ा है, जो कक हररयाणा जनरि सेल्स टैक्स एक्ट, 1973 का पूवावर्ी कानन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कक 1973 अचधननयम से पहि, पंजाब जनरि सेल्स टैक्स अचधननयम 1949 से उन क्षेिों पर प्रभाव रखर्ा िा जो अब हररयाणा राज्य का गठन करर्े हैं। इसलिए, सवाि यह है कक क्या र्ीसरा परंर्क ऐसा कर सकर्ा है पवावर्ी कानू न के संगर् प्रावधानों ू में समान सववधा के साि,ुयानी, पंजाब जनरि बेल्स टैक्स एक्ट, 1948। यहां कफर से बारीकी से ववश्रिेषण करने पर मामि ककसी भी कदठनाई से मर् प्रर्ीर् होर्ा है। यह वववाद में नहीं है कक हररयाणा सामान्य ु बबक्री कर अचधननयम की धारा 27 का संबंघर् जे प्रावधान, पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम की धारा 5(2) है। हािााँकक पहि नज़र में पंजाब जनरि सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 5(2)(ए)(ii) के प्रावधान धारा 27(1)(ए;ii) की र्िना में कु ुछ अिग िग सकर्े हैं।हररयाणा सामान्य ववक्रय कर अचधननयम, कफर भी िोडा गहन परीक्षण से पर्ा चिगा संक्षेप में वे वस्र्: समान मटेररया में हैं। बार् को सु ववधाजनक बनाने ु के लिए, उनकी समानर्ा और वास्व में आभासी पहचान को उजागर करने के लिए इन प्रावधानों को एकदसरे के साि र्ू िना करना सािाक होगा: ु -

पंजाब सामान्य बबक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) इस अधिनियम में अलभ्यक्त् “कर योग्य टनाओवर” का अिा ककसी भी अवचध के दौरान डीरि के सकि टनाओवर का वह दहस्सा है जो उसमें से कटौरी के बाद बचर्ा है-

(ए) उस अवचध के दौरान उसका कारोबार-

(i) धारा 6 के हर् कर-मक्रु घोवषर् माि की बबक्री।

(ii) उप-धारा (1) (ए) के हर् पहि चरण में कर के लिए उत्तरदायी माि की बबक्री के अिावा ककसी पंजीकृ डीरि को माि की बबक्री: ननधारर् प्रपि में उसके द्वारा पंजाब राज्य में पनववाक्रयु के लिए घोवषर् की गई या अंराज्यीय व्यापार या वाणज्य के दौरान बबक्री या बबक्री में

हरयाणा सामान्य बबक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 27(1).

27. (1) इस अधिनियम में, अलभ्यक्त् “कर योग्य टनाओवर” का अिा ककसी भी अवचध के दौरान डीरि के सकि टनाओवर का वह दहस्सा है जो उस अवचध के दौरान टनाओवर से कटौरी के बाद बचर्ा है-

(ए) के कारण-

(i)अनसु ची बी में ननददाष्ट वस्ूओं की बबक्री;ु

(ii) अनसु ची सी में ू ननददाष्ट वस्ूओं की बबक्री के अिावा पंजीकु ूर डीरिों को बबक्री और धारा 17 और 18 के हर् बबक्री के पहि चरण में कर के लिए उत्तरदायी वस्ूओं की बबक्रीु पंजाब की धारा 5(2). हरयाणा सामान्य बबक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 27(1)। सामान्य बबक्री कर अधिनियम, 1973।

भारत के क्षेत्रों से बाहर मां के ननयार का क्रम या पंजाब में बबक्री के लिए धारा 6 के हर् कर-मक्रु घोवषर् मां के अिवा ककसी भी मां के पंजाब में ननमाण में उसके द्वारा उपयोग के लिए उसके पंजीकरण प्रमाण पि में ननददाष्ट मां का ननयार। भारत के क्षेत्रों से बाहर ननयार की प्रकक्रया और ऐसे सामानों की पैककंग के लिए कंटेनरों या अन्य सामचग्रयों के एक पंजीकृ डीरि को बबक्री पर।

18. अब र्िनात्मक रूप से उपरोक् प्रावधानों की जांच कररे हुुए, भाषा में स्पष्ट असमानर्ा सबसे पहि हररयाणा अचधननयम की धारा 27(1)(ए) (i) में अनसु ची बी के संदभा से संबंघर् है, जबकक संबंघर् संदभा ू धारा 6 से संबंघर् है। पंजाब जनरि सेल्स टैक्स एक्ट में. हािााँकक, पंजाब जनरि सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 की धारा 6 का एक सरसरी संदभा भी ददखार्ा है कक उसमें कर-मक्रु सामान उक्र अचधननयम की ु अनसु ची बी के पहि कॉू िम में ननददाष्ट हैं, जो कमोबेश दोनों के लिए समान हैं। कानन. इसी प्रकार पंजाब ू सामान्य बबक्री कर अचधननयम की धारा 5(2)(ए)(ii) और हररयाणा अचधननयम की धारा 27(1)(ए)(ii) में प्रयक्र भाषा में असमानर्ा पु री र्ह से ब स्पष्ट होर्ी है जब एक संदभा आगे ददया जार्ा है ू हररयाणा अचधननयम की धारा 17 और 18 में बनाया गया। हररयाणा अचधननयम की धारा 18 के प्रावधानों पर एक नज़र डानि से यह स्पष्ट हो जाएगा कक ये वास्व में पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम की धारा 5 की उप-धारा 1 (ए) में ननधारर् प्रावधानों से बबल्कुि मेि खार्े हैं, कजसका संदभा है धारा 5(2)(a)(iii) में बनाया गया है। धारा 17 के प्रावधानों के बीच एक समान समानर्ा पंजाब जनरि सेल्स टैक्स अचधननयम, 1948 में उसके लमिान प्रावधानों के साि स्पष्ट है। जब इस स्पष्ट समानर्ा का सामना ककया गया र्ो श्री भागीरि दास भी यह स्वीकार करने के लिए काफी ननष्पक्ष िे। प्रावधान प्रभावी हैं और वस्रुः समरूपर्ा में हैं। एक बार ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कक यदद र्ीसरा ु प्रावधान धारा 27(1)(ए)(ii) के क्षेत्रों में काम कर सकर्ा है, र्ो यह समान सववधा के साि पु वावर्ी कानू न ू के प्रावधानों के संबंघ में समान ऑपरेदटव बि रख सकर्ा है। पंजाब सामान्य बबक्री कर अचधननयम के रूप में

इसकी धारा 5(2)(ए)(ii) में ननदहर् है। नर्ीजन, इस स्कोर पर भी प्रावधान की पूवाव्यापीर्ा की चनौर्ी को ु खाररज ककया जाना है।

19. कोई अन्य बबदं नहीं हटाया गया है; याचकाकर्ताओं की ओर से दोनों मुद्दों में विवाद को खारज कर दिया गया है, सभी ररट याचकाएं बबना ककसी योग्यर्ा के हैं और इसके द्वारा खारज कर दी गई हैं। हाकिाँक, पादटायों को अपनी िागर् वहन करने के लिए छोड ददया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा